[2021] 1 एस. सी. आर. 662

तमिल नाडु आवास बोर्ड

वी.

अब्दुल सलाम सरकार (मृत) और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 94)

13 जनवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-भूमि अधिग्रहण-मुआवजे पर ब्याज-अधिकार-गुरप्रीत सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले की व्याख्या-उच्च न्यायालय का इस आशय का निर्देश कि दावेदार-प्रतिवादी इस फैसले के मद्देनजर मुआवजे पर ब्याज के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

गुरपीत सिंह मामला-आयोजितः न्यायोचित-तथ्यों पर, ऋणपत्र पर ब्याज के दावे को संदर्भ अदालत द्वारा खारिज नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऋणपत्र पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यह मुद्दा गुरप्रीत सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा-इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा गुरप्रीत सिंह मामले में मामला हल होने के बाद उप-न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई थी-गुरप्रीत सिंह मामले में एक परीक्षण अनिवार्य है कि ऋणपत्र पर ब्याज देय होगा यदि संदर्भ अदालत ने या तो इसे संदर्भित नहीं किया है या इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से खारिज नहीं किया है, और दावा केवल लंबित निष्पादन कार्यवाही में किया जा सकता है। इसलिए, तथ्यों के आधार पर, अंतर-पक्ष, प्रतिवादी सॉलटियम पर ब्याज देने के लिए आवेदन करने के हकदार हैं, हालांकि पहले की निष्पादन याचिका को बंद कर दिया गया था क्योंकि उनके दावे को किसी भी पूर्ववर्ती चरण में खारिज नहीं किया गया था और इसे खुला रखा गया था-गणनाओं को सत्यापित करने और उचित आदेश पारित करने के लिए संदर्भ अदालत-गुरप्रीत सिंह मामले में फैसले के संदर्भ में, सुंदर बनाम भारत संघ (19 सितंबर 2001) में फैसले की तारीख से देय सॉलटियम पर ब्याज।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

आवश्यक प्रभाव। इसके अलावा दावा केवल लंबित निष्पादन कार्यवाही में किया जा सकता है [पैरा 8] [666-बी-सी] 1.2 . वर्तमान मामले में, ऋणपत्र पर ब्याज के दावे को संदर्भ अदालत द्वारा खारिज नहीं किया गया था। उत्पन्न होने वाली अपील में

संदर्भ अदालत के फैसले से, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला गुरप्रीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित था, इसलिए यह मुद्दा कि क्या ब्याज पर

(मृत)

सहायता उन कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगी और दावेदारों के लिए उप-न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति होगी। गुरप्रीत सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को हल करने के बाद उप-न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता

विशेष अनुमति याचिका के विषय के रूप में। द.

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई। राजस्व संभागीय अधिकारी की समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया गया। गुरप्रीत सिंह मामले में अदालत के फैसले के बाद ही प्रत्यर्थियों ने ऋण राशि पर ब्याज देने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसलिए, पक्षकारों के बीच, दावेदार ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए आवेदन करने के हकदार थे, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावे को किसी भी पूर्ववर्ती चरण में खारिज नहीं किया गया था और खुला रखा गया था। सैद्धांतिक रूप से, कोई अन्य दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह गुरप्रीत सिंह मामले के फैसले के अनुरूप है। [पैरा 8 और 9] [666-बी-एफ; 666-जी-एच; 667-ए]

2.1 अपीलार्थी का निवेदन है कि दावा था

2008 में पहले की निष्पादन याचिका को बंद करने और मूल पुरस्कार और बढ़े हुए मुआवजे को दावेदार द्वारा जमा करने और विनियोजित करने के बाद किया गया था। सॉलेटियम पर ब्याज के दावे को खारिज नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा 12 जुलाई 2001 के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से खुला रखा गया था। [पैरा 9] [666-एफ-जी]

2.2 उच्च न्यायालय का इस आशय का निर्देश कि

दावेदार-उत्तरदाताओं को सॉलेटियम पर ब्याज के भुगतान की पुष्टि करने का अधिकार होगा। जहां तक सटीक गणितीय गणना का संबंध है, गणनाओं को सत्यापित करने और उचित आदेश पारित करने के लिए इसे संदर्भ न्यायालय पर छोड़ना उचित होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि गुरप्रीत सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में, सुंदर बनाम भारत संघ (19 सितंबर 2001) मामले में फैसले की तारीख से मुआवजे पर ब्याज देय होगा। [पैरा 10] [667-बी-डी]

गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ (2006) 8 एस. सी. सी. 457:

[2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 422-अनुसरण किया गया।

सुंदर बनाम भारत संघ (2001) 7 एस. सी. सी. 211: [2001] 3 पूरक। एससीआर 176 -

संदर्भित किया गया है

मामला कानून संदर्भ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 422

पीछा किया।

पै

रा 2

[2001] 3 पूरक। एससीआर 176

संदर्भित किया गया है

[2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 94

2021 .

मद्रास सी. आर. पी. में न्यायिक उच्च न्यायालय के दिनांक 01.10.2018 के निर्णय और आदेश से। (एन. पी. डी.) 2011 की सं. 3909। सी. परमशिवम, एम. योगेश कन्ना, राजा राजेश्वरन एस, आदित्य चड्ढा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील में जो एकमात्र सवाल उठता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी अधिग्रहण के लिए मुआवजे पर ब्याज के हकदार हैं। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत हुआ था। यह मुद्दा गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ 1 ("गुरप्रीत सिंह") मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले की व्याख्या पर आधारित है।

3. इस न्यायालय के 1 दिसंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, इस मुद्दे को यह कहते हुए स्पष्ट किया गया था कि न्यायालय "प्रश्न की जांच करेगा।

5. जब इस मामले को अपील में उठाया गया, तो मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 12 जुलाई 2001 के अपने फैसले में कहा, सोलेटियम पर ब्याज के पहलू पर निम्नलिखित स्पष्टीकरणः

" यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि दावेदार ऋण और अतिरिक्त राशि पर ब्याज के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, सॉलेटियम पर ब्याज देने का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। अतः इस पर निर्भर करता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्रॉस का परिणाम, दावेदारों को संबंधित के समक्ष एक उपयुक्त याचिका भरने की अनुमति है

उप-न्यायालय "।

(2006) 8 एस. सी. सी. 457 तमिल नाडु आवास बोर्ड v. अब्दुल सलाम सरकार (मृत) [डॉ। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़]

6. डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाओं को 22 मार्च 2004 को खारिज कर दिया गया था। द्वारा दायर समीक्षा याचिका

राजस्व प्रभागीय अधिकारी को भी 2 अगस्त 2006 को बर्खास्त कर दिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में हमें गुरप्रीत सिंह (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर मुआवजे पर ब्याज के दावे की वैधता का आकलन करना होगा। 7. गुरप्रीत सिंह (ऊपर) मामले के फैसले के पैराग्राफ 54 में, उपरोक्त मुद्दे पर विशेष रूप से पहले के संदर्भ में विचार किया गया था।

सुंदर बनाम भारत संघ 2 में निर्णय। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

सुंदर (2001) 7 एससीसी 211: 2001 बशर्ते (3) एस. सी. आर. 176], पुरस्कार विजेता/डिक्री धारक ऋण राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार होगा। निष्पादन हालांकि यह विशेष रूप से डिक्री द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय है कि एक निष्पादन अदालत डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है। यदि, इसलिए, सॉलेटियम पर ब्याज का दावा किया गया था

बनाया गया है और उसी को या तो स्पष्ट रूप से नकारात्मक कर दिया गया है या

के निर्णय या डिक्री द्वारा आवश्यक निहितार्थ द्वारा

संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, निष्पादन

अदालत को अनिवार्य रूप से ब्याज के दावे को अस्वीकार करना होगा।

सुंदर पर आधारित सोलेशियम पर [(2001) 7 एस. सी. सी. 211: 2001 अनुपूरक (3) एस. सी. आर. 176] इस आधार पर कि निष्पादन न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

फरमान के पीछे जाओ। लेकिन अगर संदर्भ का पुरस्कार

न्यायालय या अपीलीय न्यायालय विशेष रूप से ऐसा नहीं करता है

सॉलेटियम पर या मामलों में ब्याज के प्रश्न का उल्लेख करें

जहाँ दावा नहीं किया गया था और अस्वीकार भी नहीं किया गया था

संदर्भ न्यायालय या द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से

दिए गए, तो यह निष्पादन अदालत के लिए खुला होगा सुंदर [(2001) 7 एस. सी. सी. 211 का अनुपात लागू करें। 2001 सपं. (3) एस. सी. आर. 176] और कहें कि दिए गए मुआवजे में शामिल हैं

ऋण और ऐसी स्थिति में राशि पर ब्याज हो सकता है निष्पादन में जमा करने का निर्देश दिया जाए। अन्यथा, नहीं।

हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि सॉलेटियम पर इस तरह के ब्याज का दावा किया जा सकता है।

केवल लंबित निष्पादन में और बंद निष्पादन में नहीं और निष्पादन न्यायालय इसकी अनुमति देने का हकदार होगा

सुंदर में निर्णय की तारीख से वसूली [(2001) 7

एससीसी 211: 2001 पूरक (3) एससीआर 176] (19-9-2001) और किसी के लिए नहीं

पूर्व अवधि। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। डिक्री-धारक द्वारा पुनर्विनियोजन या नया विनियोग। यह

हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्टीकरण के माध्यम से भी संकेत दिया है ताकि इस पर मुकदमेबाजी की बहुलता से बचा जा सके।

सवाल "। (जोर दिया गया)

8. गुरप्रीत सिंह (ऊपर) ने जो परीक्षण अनिवार्य किया है, वह यह है कि ऋण राशि पर ब्याज देय होगा यदि संदर्भ अदालत ने या तो इसे संदर्भित नहीं किया है या इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से खारिज नहीं किया है।

निहितार्थ। इसके अलावा, दावा केवल लंबित निष्पादन कार्यवाही में किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, सॉलेटियम पर ब्याज का दावा था संदर्भ न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया। संदर्भ अदालत के फैसले से उत्पन्न एक अपील में, उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2001 के अपने फैसले में कहा कि चूंकि मामला इस अदालत की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित था, इसलिए यह मुद्दा कि क्या मुआवजे पर ब्याज दिया जाएगा, उन कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा और दावेदारों के लिए उप-अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा।

अदालत। 19 अक्टूबर 2006 को दिए गए गुरप्रीत सिंह (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले के बाद ही प्रत्यर्थियों ने मुआवजे पर ब्याज देने के लिए एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय अपने विवादित फैसले से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गुरप्रीत सिंह (उपरोक्त) मामले के फैसले को देखते हुए इस तरह का आवेदन मान्य था। ए के रूप में

सैद्धांतिक रूप से, हम कोई अन्य दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं क्योंकि यह संविधान पीठ के फैसले के अनुरूप है।

9. अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि वर्तमान मामले में दावा 2008 में किया गया था, जब पहले की निष्पादन याचिका को बंद कर दिया गया था और मूल पुरस्कार और बढ़े हुए मुआवजे को दावेदार द्वारा जमा और विनियोजित किया गया था। इस में हमारा विचार, दावेदार को ऋण राशि पर ब्याज देने का अधिकार नहीं देगा। सोलेशियम पर ब्याज के दावे को खारिज नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा 12 जुलाई के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से खुला रखा गया था।

2001. इस न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा मामले को हल करने के बाद उप न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वतंत्रता दी गई थी, वह एक विशेष अनुमति याचिका का विषय था। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई। राजस्व तमिल नाडु आवास बोर्ड बनाम द्वारा समीक्षा याचिका।

संभागीय अधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए, पक्षकारों के साथ-साथ, दावेदार ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए आवेदन करने के हकदार थे, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावे को किसी भी पूर्ववर्ती चरण में खारिज नहीं किया गया था और खुला रखा गया था।

10. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हम इस प्रभाव के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश की पुष्टि करते हैं कि दावेदार-प्रतिवादी होंगे

सॉलेटियम पर ब्याज के भुगतान का हकदार। हालाँकि, जहाँ तक सटीक गणितीय गणना का संबंध है, गणनाओं को सत्यापित करने और उत्तीर्ण करने के लिए इसे संदर्भ न्यायालय पर छोड़ना उचित होगा।

उचित आदेश। चूंकि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम आदेशों के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा जमा किया गया है, इसलिए जो राशि जमा की गई है, उसे उत्तरदाताओं द्वारा निकालने की अनुमति दी जाएगी और अंतिम राशि पर पहुंचने के लिए उचित श्रेय दिया जाएगा जो देय और देय है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि गुरप्रीत सिंह (ऊपर) मामले में संविधान पीठ के फैसले के संदर्भ में, सुंदर बनाम भारत संघ (19 सितंबर 2001) मामले में फैसले की तारीख से मुआवजे पर ब्याज देय होगा।

11. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। 5 लाख रुपये की लागत जो इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय में जमा की गई है।

आदेश, दावेदारों को भी वितरित किया जाएगा।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस